न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 146/2020 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा	बनाम	1. अनवर मेरात पुत्र सोहन मेरात, निवासी भदालीखेडा, ग्राम पंचायत आरजिया, 2. विनोद कुमार चौरडिया पुत्र भंवर लाल चौरडिया निवासी बी– 159, आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा 3. ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व जिला भीलवाडा–राजस्थान
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बाबत् पट्टा संख्या 12, दिनांक 20.12.2017, पट्टे पर अंकित मिसल संख्या 176/16–17, संकल्प संख्या 02, दिनांक 20.10.2017, पट्टा जारी दिनांक 20.12.2017 को निरस्त करने के संबंध में

उपस्थित –

1. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मनोहर लालवानी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.05.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने एक पट्टा विलेख दिनांक 05.10.2018 को पट्टा संख्या 12 पट्टा जारी दिनांक 20.12.2017 का राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) के तहत् ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारीशुदा पटटे को उपपंजीयक भीलवाडा के यहाँ पंजीकृत करवाया है। उक्त पट्टा आवासीय भूमि का पूर्णरूपेण विधिविरूद्ध गैर कानूनी एवं छल से तैयार किया हुआ होकर पंजीकृत करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार संख्या 03 ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारीशुदा पट्टा गैर–कानूनी तरीके से ग्राम पंचायत की करोडो रूपये की आबादी भूमि को नष्ट करने एवं अवैध रूप से कब्जा करने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा एवं जिलाधीश महोदय, भीलवाडा द्वारा विशेष रूप से जाँच के आदेश दिये गये, जिस पर जॉच की गई, जॉच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत आरजिया में पट्टा बनाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं दिया है, न कोई आवेदन शुल्क जमा करवाया है, न किसी प्रकार का पट्टा शुल्क जमा करवाया हैं। ऐसी स्थिति में उपर वर्णित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं। पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा राजस्थान

अति. जिला कलक्टर